रजि० सं० डी० एल०-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 1992/कार्तिक 27, 1914
No. 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 1992/KARTIKA 27, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना सं. 66

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1992

सं.इ.पी. 41-2/87—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम एतद्द्वारा भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1967 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है:—

I (1) इन विनियमों को भारतीय खाद्य-निगम (अंशदायी भविष्य निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1992 कहा जाएगा।

(2) संशोधित विनियम—5(1) तत्काल प्रभावी होंगे।

II भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1967 के विनियम—5(1) में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी।

विनियम 5(1) न्यासी बोर्ड

(i) निगम का कार्यकारी निदेशक (वित्त) पदेन अध्यक्ष होगा।

(iii) कार्यकारी निदेशक (वित्त) द्वारा वित्त प्रभाग में नामित एक अधिकारी पदेन न्यासी (ट्रस्टी) होगा।

(iv) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली तथा गुवाहाटी में तैनात निगम के पांच आंचलिक प्रबंधक पदेन न्यासी होंगे।

(v) प्रबंध निदेशक द्वारा नियत फंड के सदस्यों में से निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि ।

टिप्पणी :—1. भविष्य में यदि कभी आंचलिक प्रबंधकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो उन्हें भी न्यासी बोर्ड का सदस्य माना जायगा और न्यासियों की कुल संख्या अनुकूल सीमा तक बढ़ाई जायगी ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिनिधि आंचलिक प्रबंधकों की संख्या के बराबर हो जाए ।

2. अधिकारी/कर्मचारी/विभागीय श्रमिकों के प्रतिनिधियों का प्रत्येक नामांकन शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जायगा ।

एम. एन. शर्मा, सचिव

भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1967 के पूर्ववर्ती संशोधनों की सूची

क्रम सं.	शीर्षक	राजपत्र का भाग	अधिसूचना की तारीख
1.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) विनियम, 1967	भाग—III खंड 4	27-5-1967
2.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1969	—वही—	6-6-1969
3.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1969	—वही—	8-9-1969
4.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1980	—वही—	20-12-1980
5.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (चौथा संशोधन) विनियम, 1982	—वही—	23-1-1982
6.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पांचवां संशोधन) विनियम, 1982	—वही—	28-8-1982
7.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (छठा संशोधन) विनियम, 1983	—वही—	7-5-1983
8.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (सातवां संशोधन) विनियम, 1983	—वही—	27-8-1983
9.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (आठवां संशोधन) विनियम, 1987	—वही—	3-9-1987
10.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (नौवां संशोधन) विनियम, 1988	—वही—	6-7-1988
11.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (दसवां संशोधन) विनियम, 1989	—वही—	10-2-1989
12.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1990	—वही—	1-3-1990
13.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1990	—वही—	19-4-1990
14.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1991	—वही—	9-8-1991
15.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि. (पहला संशोधन) विनियम, 1992	—वही—	20-2-1992

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION NO. 66

New Delhi, the 17th November, 1992

No. EP. 41-2/87—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporation Act, 1964 (37) of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the FCI hereby makes the following Regulation further to amend the FCI (CPF) Regulations, 1967, namely :

I. (1) These regulations may be called the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) (2nd) Amendment) Regulations, 1992.

(2) The amended Regulation 5(1) shall be deemed to have come into force at once.

II. In the FCI (CPF) Regulations, 1967 in Regulation 5(1) for the existing entries, the following entries shall be substituted.

Regulation-5(1)—Board of Trustees.

(i) The Executive Director (Finance) to the Corporation, who will be the ex-officio President;

(iii) An Officer of the Finance Division nominated by the Executive Director (Finance), who will be an ex-officio Trustee;

(iv) Five Zonal Managers of the Corporation posted at Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi and Guwahati who will be ex-officio Trustees.

(v) Five representative of the officers/officials of the Corporation to be nominated by the Managing Director from amongst the members of the Fund;

Note. 1—If at any time in the future it is decided to increase the number of Zonal Managers they shall also be deemed to be members on the Board of Trustees and the total number of Trustees shall increase to the corresponding extent so that the representative of the officers/staff shall be equal to that of Zonal Managers.

2. Every nomination of a representative of officer/Official/Departmental workers shall be notified in the official Gazette.

S.N. SHARMA, Secy.

LIST OF PREVIOUS AMENDMENTS TO THE FCI (CPF) REGULATIONS, 1967

Sl. No.	Title	Part of Gazette	Date of publication
1.	FCI (CPF) Regulations, 1967	Part III Sec. IV	27-05-1967
2.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1969	-do-	06-06-1969
3.	FCI (CPF) (2nd Amendment) Regulations, 1969	-do-	08-09-1969
4.	FCI (CPF) (3rd Amendment) Regulations, 1980	-do-	20-12-1980
5.	FCI (CPF) (4th Amendment) Regulations, 1982	-do-	23-01-1982
6.	FCI (CPF) (5th Amendment) Regulations, 1982	-do-	28-08-1982
7.	FCI (CPF) (6th Amendment) Regulations, 1983	-do-	107-05-1983
8.	FCI (CPF) (7th Amendment) Regulations, 1983	-do-	27-08-1983
9.	FCI (CPF) (8th Amendment) Regulations, 1987	-do-	03-09-1987
10.	FCI (CPF) (9th Amendment) Regulations, 1988	-do-	06-07-1988
11.	FCI (CPF) (10th Amendment) Regulations, 1989	-do-	10-02-1989
12.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1990	-do-	10-03-1990
13.	FCI (CPF) (2nd Amendment) Regulations, 1990	-do-	19-04-1990
14.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1991	-do-	09-08-1991
15.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1992	-do-	20-02-1992

Printed by the Manager, Govt. of India Press, King Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992